राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– पदमपुरा

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 19 सन 2018

अनवान :–

1. सरजीत 2 रोहिताश पुत्रगण बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. बनवारी पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सावित्री 3 रितु पि0 बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 10 जेएसएन के खाता संख्या 91/83 के किता 20 की कुल 4.7970हैक व खाता संख्या 92/79 के किला 3 की कुल 0.6320हैक , व रोही मौजा चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 51/41 के किता न0 6 की कुल 1.0120हैक भूमि पूर्व वादी के दादा इन्दाज पुत्र गणेशा के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 जो वादीगण की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाया जावे।

वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया की पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हकों का त्याग कर दिया है वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज किया जाता है तो ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पति साबित है पैतृक सम्पति में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक है तथा वादीगण ने निवेदन किया की वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है जिसे प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने स्वीकार कर लिया है। इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की सहमति के आधार पर वाद काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के द्वारा हकों का त्याग करने के कारण राज्य हकों को सुरक्षित रखने हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 91/83 के किता 20 की कुल 4.7970हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 51/41 की 1.0120हैक व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 92/79 की कुल 0.6320हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। बैक रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SAZaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–पदमपुरा

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–पदमपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सरजीत 2 रोहिताश पुत्रगण बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 बनवारी पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।

2. सावित्री 3 रितु पि0 बनवारीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

4 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 19 सन 2018 निर्णय दिनांक–08.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 91/83 के किता 20 की कुल 4.7970हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं चक 8 जेएसएन के खाता संख्या 51/41 की 1.0120हैक्ट व चक 10 जेएसएन के खाता संख्या 92/79 की कुल 0.6320हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– पांच हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। बैक रहन मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S.Zaidi
शिविर प्रभारी
~~राजस्व~~ लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–पदमपुरा